सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-574 राँची, शुक्रवार, 26 नवम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 नवम्बर, 2021

संख्या-12/आशु०से०-13-03/2021-7947--भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

(क) यह नियमावली झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 कहलाएगी ।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. (I) **परिभाषा** :- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा वर्णित न हो, -

(क) "**उपलब्ध रिक्तियाँ** " से झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड में ऐसी रिक्तियाँ अभिप्रेत है, जिन्हें खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है,

(ख) "**परीक्षा**" से झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड पर सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है,

(ग) "**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति**" के वही अर्थ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खण्ड 24 और खण्ड 25 में समनुदेशित है ।

(घ) "**पिछड़ा वर्ग-अनुसूची-2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग-अनुसूची-1**" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग-अनुसूची-2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग-अनुसूची-1 के रूप में अधिसूचित जातियां।

(ङ) **"निःशक्त व्यक्ति"** से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) ।

(च) "**आयोग**" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।

(छ) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(II) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और यहां परिभाषित नहीं है, किन्तु झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 में परिभाषित है, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उन नियमों में प्रयुक्त है ।

3. **परीक्षा का आयोजन**-

(1) आयोग आशुलिपिक ग्रेड के पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित्त गठित झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा ।

4. **पात्रता की शर्तें :-** परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तो का समाधान करना चाहिए, अर्थात् :-

(i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए,

(ii) उम्र सीमा- आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी, जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित होगा। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त को निर्दिष्ट तिथि मानकर की जायेगी ।

(iii) शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री रखता हो ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त सीधी भर्ती के लिए झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

(iv) शुल्क- परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क आयोग के द्वारा निर्धारित किया जायेगा, परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क में 50% छूट/रियायत दी जायेगी ।

5. **आरक्षण** :- राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम/अधिनियम एवं परिपत्र लागू होंगे ।

6. **पात्रता के बारे में विनिश्चय** - पात्रता या अर्हत्ता परीक्षा के प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश-पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जायेगा ।

7. **परीक्षा का स्वरूप** :- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा निम्न दो चरणों में आयोजित की जायेंगी :-

1. प्रथम चरणः- कौशल जाँच परीक्षा ।
2. द्वित्तीय चरणः- लिखित परीक्षा ।

प्रथम चरण के कौशल जाँच परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा अर्थात यह परीक्षा मात्र अर्हक प्रकृति (**Qualifying Nature**) का होगा ।

कौशल जाँच परीक्षा में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-10992 दिनांक-25.09.2012 के प्रावधानानुसार दिव्यांगजनों को सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।

प्रथम चरण के कौशल जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को द्वित्तीय चरण के लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

प्रथम चरण-कौशल जाँच परीक्षण का पाठ्यक्रमः-

कौशल जाँच परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगी ।

1. प्रथम पत्रः- इसके अन्तर्गत हिन्दी आशुलेखन की जाँच परीक्षा ली जायेगी जिसका मानदंड निम्नवत् होगाः-

हिन्दी आशुलेखन की जाँच :- इसमें हिन्दी आशुलेखन की जाँच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिन्दी श्रुतिलेख दिया जायेगा ।

श्रुतिलेख आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जायेगा। श्रुतिलेख के पूर्व 01 (एक) मिनट का समय श्रुतिलेख का अभ्यास/तैयारी (Trial) हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख को कम्प्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 (चालीस) मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कम्प्यूटर पर टंकण आरम्भ करने के पूर्व 5(पाँच) मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने के लिए दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख

के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 5 (पाँच) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा ।"

2. <u>द्वित्तीय पत्र</u> :- इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जायेगी। इसके अन्तर्गत एक तालिकावार आँकडा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिये गये निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगेः-

(क) उक्त तालिकावार आँकडे को MS-Word पर टंकित करना ।

(ख) MS-Excel पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत, जोड़, घटाव इत्यादि से सम्बन्धित गणना ।

(ग) MS-Excel पर तैयार आकड़ों के आधार पर Pie chart तथा Bar Chart तैयार करना ।

(घ) MS-Excel पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS- Power Point में Power Point Presentation हेतु एक Slide तैयार करना होगा ।

(ङ) उपर्युक्त कंडिका-(क) से (घ) तक के तैयार सभी दस्तावेज**(Document)** का एक फोल्डर तैयार कर इसे दिये गये पते (E-mail-id) पर भेजना होगा ।

(च) Internet Searching की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 (डेढ़) घंटा (90 मिनट) होगी तथा प्रत्येक खंड हेतु 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

कौशल जाँच परीक्षा के अन्तर्गत अभ्यर्थी को आशुलेखन जाँच परीक्षा एवं कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।

<u>द्वित्तीय चरण- लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रमः-</u>

लिखित परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा ।

1. प्रथम पत्रः- इस परीक्षा की अवधि 03 (तीन) घंटे की होगी। इस पत्र में चार विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

(क)	हिन्दी भाषा का ज्ञान	-	25 प्रश्न (75 अंक)
(ख)	अंग्रेजी भाषा का ज्ञान	-	25 प्रश्न (75 अंक)
(ग)	सामान्य अध्ययन	-	25 प्रश्न (75 अंक)
(घ)	तर्क एवं मानसिक जाँच	-	25 प्रश्न (75 अंक)
	कुल	-	100 प्रश्न (300 अंक)

<u>प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम</u>

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञानः- इसके अन्तर्गत हिन्दी अनुच्छेद एवं हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञानः- इसके अन्तर्गत अंग्रेजी अनुच्छेद एवं अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(ग) सामान्य अध्ययनः- इसके अन्तर्गत समसामयिक विषयों, भारत देश, झारखण्ड राज्य एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(घ) तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँचः- इसमें मैट्रीक स्तर के तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच हेतु शाब्दिक एवं गैर-शाब्दिक जिसमें सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारण, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

2. **<u>द्वितीय पत्रः-</u>** इस पत्र में उर्दू/ संथाली/ बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख(उरांव) /कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न (पूर्णांक-300 अंक) पूछे जायेंगे। इस परीक्षा की अवधि 02(दो) घंटा की होगी ।

8. मेधासूची-

(I) लिखित परीक्षा के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक, जैसा कि सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर आरक्षण श्रेणीवार निर्धारित है, प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंको के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार करेगा तथा संसूचित रिक्तियों के अनुरूप आयोग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को श्रेणीवार अनुशंसा भेजेगा। मेधासूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र इत्यादि की जांच किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकेगा ।

(II) इस परीक्षा में चयन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-13026 दिनांक-27.11.2012 एवं अधिसूचना संख्या-3849 दिनांक-10.08.2021 के द्वारा वर्त्तमान में आरक्षण श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् हैः-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
आदिम जनजाति समूह	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(III) प्रथम चरण (कौशल परीक्षा) का दोनों पत्र मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस चरण के अन्तर्गत प्राप्त अंक मेधा सूची के निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा ।

(IV) द्वित्तीय चरण के प्रथम पत्र एवं द्वित्तीय पत्र में अलग-अलग न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(V) द्वित्तीय चरण के प्रथम पत्र (पूर्णांक-300 अंक) एवं द्वित्तीय पत्र(पूर्णांक-300 अंक) में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम-8(II) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा ।

(VI) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान(Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा ।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा सूची में उपर रखा जायेगा ।

9. झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) यथा संशोधित नियमावली, 2014 में झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) के सुसंगत प्रावधान झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 प्रवृत्त होने की तिथि से इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। आशुलिपिक श्रेणी में नियुक्ति के लिये पूर्व से निर्धारित प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (Overriding Effects) के साथ लागू होंगे ।

10. इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

11. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 574 -- 50